

तारीख
हुवम

फर्द अहकाम
(नियम 15)

हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
महेन्द्रपुरी बनाम लोक सूचना अधि० (जिला रसद अधिकारी धौलपुर)
प्रथम अपील, (गु०संख्या 21/2023)
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीरीएमएस न० 2023/41)

नम्बर व तारीख
ग्रहकाम की इस
हुवम की तारीख
में जारी हुवे

04.07.2023

अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट की यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक एफ102(3)(1)खा.वि./आरटीआई/विधि/2022दिनांक 12.06.2023 से इस कार्यालय को दिनांक 20.06.2023 को प्राप्त हुई है। अपीलान्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक: रसद/सू.अ./2023/1828 दिनांक 30.06.2023 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना, अपीलार्थी श्री महेन्द्रपुरी निवासी मठ पवेसुरा पोस्ट कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक रसद/सू.अ./2023/1787-88 दिनांक 21.06.2023 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डांक से भिजवाई जा चुकी है जिसके पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।

अतः इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई वांछित सूचना अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक रसद/सू.अ./2023/1787-88 दिनांक 21.06.2023 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डांक से भिजवाई जा चुकी है। पत्र की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।

(अनिल कुमार अग्रवाल)

जिला कलक्टर